(114)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अवमानना प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–ग्वालियर

1– राजेश पुत्र स्व. श्री सोबरन सिंह
2– अमृतलाल पुत्र स्व. श्री सोबरन सिंह
3– रामहेत पुत्र स्व. श्री सोबरन सिंह
4– श्रीमती रामदुलारी पत्नी स्व. श्री सोबरन सिंह
निवासीगण – नीम चन्दोहा तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.)

–– आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन, द्वारा – कलेक्टर, ग्वालियर म0प्र0
2– भूपेन्द्र सिंह कुशवाह तहसीलदार, ग्वालियर

–– अनावेदकगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 12 (2) अवमानना अधिनियम बाबत प्रकरण क्रमांक 1248-PBR/2016 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 21.04.2016 के उल्लंघन बाबत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

1– यहकि, आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 1248–PBR/2016 निगरानी अधीनस्थ न्यायालय, अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 334/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 05.04.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था।

2– यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण आवेदक के हित में पाये जाने पर अपने पारित आदेश दिनांक 21.04.2016 से अधीनस्थ न्यायालय, अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 334/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 05.04.2016 निरस्त कर तहसीलदार ग्वालियर को यह निर्देश दिये गये थे कि आवेदकगण का समान भाग पर नामान्तरण स्वीकार कर शासकीय अभिलेख में अमल किये जाने के आदेश दिये गये थे।

3– यहकि, आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में कई बार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया गया था कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उनके पक्ष में आदेश पारित किया गया है ओर उसका अमल राजस्व अभिलेखों में किया जाना है जो आज दिनांक तक नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त अमल किया जाये। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र कोई भी विचार नहीं किया गया और न ही राजस्व अभिलेखों में अमल ही किया गया ऐसी स्थिति में अधीनस्थ

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 9021–पीबीआर/2016 **जिला ग्वालियर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.2.2017	मूल प्रकरण को स्वमेव पुनर्विलोकन में लिया गया है, अतः प्रकरण में अवमानना की कोई स्थिति नहीं होने के कारण यह प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है । अध्यक्ष	